रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 जुलाई, 2024 ई० (श्रावण 05, 1946 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, मैनपुरी

उपविधि

18 जून, 2024 ई0

सं0 2467/21—I/2023—24—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित, 1994 की धारा 239 (1) एवं 239 (2) के पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत संचालित दुकानों/प्रतिष्ठानों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि—विज्ञप्ति संख्या 1292/इक्कीस—7(10)—75—76, दिनांक 21 फरवरी (भाग—3) 1976 एवं संशोधित उपविधि—विज्ञप्ति संख्या 2688/इक्कीस—7(10)—75—76, दिनांक 29 अप्रैल, 1992 प्रचलित हैं। उक्त उपविधि—विज्ञप्ति संख्या 1292/इक्कीस—7(10)—75—76, दिनांक 21 फरवरी (भाग—3) 1976 की धारा 04, 08, 11, 12 एवं संशोधित उपविधि—विज्ञप्ति संख्या 2688/इक्कीस—7(10)—75—76, दिनांक 29 अप्रैल, 1992 तथा दण्ड में संशोधन/संवर्धन किया गया है। निम्नवत् किये गये संशोधन/संवर्धन की मै रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा 242(4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूँ, जो उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि की धारा—04 **(प्रस्तावित संशोधन)**

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान दर	संशोधित दर/परिवर्धित दर
1	2	3	4
1.	कपड़ा की दुकान (फेरी फुटकर)	50.00 ₹	500.00 ₹
2.	परचून की दुकान	30.00 ₹	500.00 ₹

1	2	3	4
3.	हलवाई की दुकान	30.00 ₹	500.00 ₹
4.	होटल	40.00 ₹	1,000.00 ₹
5.	इमारती लोहे की बड़ी दुकान जिसमें पानी वाली पाइपों या उससे सम्बन्धित सामान, इंजन, कटीले तार, चाय मशीन, बाल्टी जंगला, जाल, दरवाजा, सटर आदि	50.00 ₹	2,000.00 ₹
6.	लोहे की छोटी दुकान जिसमें उपरोक्त के अलावा ताला चावी, रेती, हथोडा, बोल्ट, कील, कब्जे, हैंडिल, चटकनी आदि छोटे सामान हों।	30.00 ₹	500.00 ₹
7.	बिना आरा मशीन इमारती लकड़ी की दुकान	50.00 ₹	1,000.00 ₹
8.	जूते की दुकान	40.00 ₹	500.00 ₹
9.	गल्ले की दुकान जिसमें 10 कुन्तल से अधिक हो	40.00 ₹	1,000.00 ₹
10.	बर्तन की दुकान	60.00 ₹	500.00 ₹
11.	सोने चांदी के आभूषण की दुकान	125.00 ₹	1,000.00 ₹
12.	कपड़े की फुटकर की दुकान	100.00 ₹	1,000.00 ₹
13.	पुस्तक कॉपी स्टेशनरी की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
14.	मेडिकल डॉक्टर की दुकान	60.00 ₹	1,000.00 ₹
15.	चाय, लस्सी की दुकान	20.00 ₹	500.00 ₹
16.	लकड़ी की टॉल (जलाने वाली लकड़ी)	50.00 ₹	1,000.00 ₹
17.	साइकिल की दुकान	30.00 ₹	1,000.00 ₹
18.	विसातखाना जनरल स्टोर की दुकान	30.00 ₹	500.00 ₹
19.	कृषि सम्बन्धी व्यवसाय	50.00 ₹	1,000.00 ₹
20.	केवल पान की दुकान जिसमें बीड़ी सिगरेट सम्मलित है	20.00 ₹	500.00 ₹
21.	जलाने वाले कोयले की दुकान	40.00 ₹	1,000.00 ₹
22.	टीन की सामान बर्तन एल्युमिनियम का सामान टीन की चादर आदि की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
23.	सिलाई मशीन व टाइपराइटर विकय की दुकान इससे सम्बन्धित	30.00 ₹	1,000.00 ₹
24.	कपड़े की सिलाई की दुकान जिसमें एक मशीन चलती हो	25.00 ₹	500.00 ₹
25.	कपड़े की सिलाई की दुकान जिसमें एक से अधिक हो	40.00 ₹	1,000.00 ₹
26.	घड़ियों की दुकान जहॉ मरम्मत तथा बेची जाती हों।	40.00 ₹	500.00 ₹
27.	रेडियो की दुकान जहॉ पर मरम्मत होती है	30.00 ₹	500.00 ₹
28.	रेडियो की दुकान जहॉ रेडियो बेचे जाते हों	40.00 ₹	500.00 ₹
29.	फर्नीचर की दुकान जिसमें सोफा सैट, मशहरी, कुर्सी, टेबिल, चौकी, लकड़ी के दरवाजे आदि	50.00 ₹	1,000.00 ₹
30.	साइकिल रिक्शा के पार्ट्स टाइपराइटर की दुकान	50.00 ₹	500.00 ₹

1	2	3	4
31.	सोना चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगर की दुकान	50.00 ₹	500.00 ₹
32.	फुटकर मिट्टी के तेल, डीजल, मोबिऑयल बेचने की दुकान	40.00 ₹	1,000.00 ₹
33.	फल या सब्जी की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
34.	बिजली की मोटर पंखे बल्व तार लैम्प आदि की दुकान जहाँ पर बिजली के सम्बन्धी हर प्रकार के सामान बेचे जाते हों।	40.00 ₹	500.00 ₹
35.	लाउडस्पीकर तथा उससे सम्बन्धित सामान रखने वाली दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
36.	लॉड्री की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
37.	समस्त बीज फुटकर की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
38.	बाल काटने के सैलून की दुकान	15.00 ₹	500.00 ₹
39.	कार जीप टैक्टर, ट्रक, मोटर–साइकिल आदि की दुकान	20.00 ₹	1,000.00 ₹
40.	रसायनिक खाद की दुकान जिसमें सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित हो	75.00 ₹	1,000.00 ₹
41.	ऑटो मोबाइल के पार्ट्स बिक्री की दुकान	30.00 ₹	1,000.00 ₹
42.	अफीम गांजा, भांग, चरस, ताड़ी की दुकान	50.00 ₹	1,000.00 ₹
43.	शराब की दुकान	100.00 ₹	5,000.00 ₹
44.	हथियार आदि आर्मस या शस्त्र अथवा अन्य किसी प्रकार की दुकान	50.00 ₹	2,000.00 ₹
45.	पत्थर के सामान की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
46.	क्रॉकरी की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
47.	खेल खेलने काम आने वाली सामान की दुकान	30.00 ₹	500.00 ₹
48.	हर किस्म के वार्निस पेन्टस, तारपीन के तेल आदि की दुकान	50.00 ₹	1,000.00 ₹
49.	रस्सी हर किस्म जैसे नारियल, सन बैल, सुतली बनी हुयी टाट पट्टी बोरा मूँज फर्श निवार की दुकान	50.00 ₹	500.00 ₹
50.	मिट्टी पत्थर, सीमेण्ट सामान सेनेटरी फिटिंग के कार्य में आने की दुकान	40.00 ₹	1,000.00 ₹
51.	समस्त प्रकार की चूना, सफेदी, सीमेण्ट बालू, मौरम, मार्बल चिप्स, रंगीन सफेदी खड़िया, रामरख हर तरह की गेरू की दुकान	40.00 ₹	1,000.00 ₹
52.	रूई बुनने की दुकान	40.00 ₹	500.00 ₹
53.	मजिया चावल मशीन, चिवरा कुटने की दुकान	75.00 ₹	1,000.00 ₹
54.	फेरी की साधारण वस्तुओं की दुकान	15.00 ₹	300.00 ₹
55.	सीमेण्ट स्टोकिस्ट पर	100.00 ₹	2,000.00 ₹
56.	सुरखी बनाने के व्यवसाय	50.00 ₹	1,000.00 ₹
57.	बकरे के गोस्त बेचने की दुकान	50.00 ₹	-
58.	मछली बेचने की दुकान	25.00 ₹	-
59.	पावर थ्रेसर को बनाना	75.00 ₹	1,000.00 ₹

1	2	3	4
60.	पम्पिंग सैट विक्रय	100.00 ₹	2,000.00 ₹
61.	देसी घी, वनस्पति घी, खाद्य की दुकान	50.00 ₹	1,000.00 ₹
62.	चूरा, लाई, मूंगफली, बिस्कुट, खिलौने की दुकान	25.00 ₹	500.00 ₹
63.	खोया विकय व्यवसाय	35.00 ₹	1,000.00 ₹
64.	किराने की दुकान पर	40.00 ₹	1,000.00 ₹
65.	बोरिंग मैटेरियल नल आदि का सामान	50.00 ₹	1,000.00 ₹
66.	गैस प्लाण्ट (गेल इण्डिया)	-	1,00,000.00 ₹
67.	टोल टैक्स (टोल प्लाजा)	-	1,00,000.00 ₹
68.	ईट मण्डी/गिट्टी बालू मण्डी	-	10,000.00 ₹
69.	मोटर साइकिल शोरूम/ऐजेन्सी	-	10,000.00 ₹
70.	नर्सिंग होम	-	10,000.00 ₹
71.	ट्रेक्टर ऐजेन्सी	-	10,000.00 ₹
72.	गैस ऐजेन्सी	-	10,000.00 ₹
73.	फर्नीचर बनाने का गोदाम	-	3,000.00 ₹
74.	दूध की डेरी/दूध कलैक्शन सेंटर	-	2,000.00 ₹
75.	पनीर बनाने का कार्य	-	2,000.00 ₹
76.	मोबाइल टावर	-	20,000.00 ₹
77.	रिसोर्ट	-	20,000.00 ₹
78.	आयरन फर्नीचर वर्कशॉप	-	5,000.00 ₹
79.	रेस्टोरेन्ट	-	2,000.00 ₹
80.	क्रीम निकालने की मशीन	-	1,000.00 ₹
81.	फोटोग्राफर की दुकान	-	500.00 ₹
82.	गमला/नाद/जाली आदि बनाने की दुकान	-	300.00 ₹
83.	बैटरी मरम्मत की दुकान	-	200.00 ₹
84.	छोटा गैस सिलेण्डर बेचने/गैस चूल्हा मरम्मत की दुकान	-	500.00 ₹
85.	आईस कैण्डी बनाना	-	1,000.00 ₹
86.	अण्डों की थोक दुकान	-	1,000.00 ₹
87.	साइकिल मरम्मत	-	200.00 ₹
88.	चूड़ियों की दुकान	-	200.00 ₹
89.	मोविऑयल की दुकान	-	200.00 ₹
90.	कैसेट बिक्री की दुकान	-	200.00 ₹

1	2	3	4
91.	टी0वी0, फ्रीज, वॉसिंग मशीन का शोरूम	-	2,000.00 ₹
92.	डेकोरेशन की दुकान	-	500.00 ₹
93.	गुड़ की दुकान	-	200.00 ₹
94.	ट्रांसपोर्ट ऐजेंसी	-	2,000.00 ₹
95.	धर्मकांटा	-	5,000.00 ₹
96.	अन्य सभी प्रकार की गोदाम	-	5,000.00 ₹
97.	मोबाइल सैट बेचने की दुकान	-	1,000.00 ₹
98.	मोबाइल मरम्मत / रिचार्ज कूपन आदि की दुकान	-	500.00 ₹
99.	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	-	1,000.00 ₹
100.	गैस बैल्डिंग की दुकान	-	200.00 ₹
101.	जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी का व्यवसाय	-	5,000.00 ₹
102.	पक्की आढ़त	-	5,000.00 ₹
103.	कच्ची आढ़त	-	1,000.00 ₹
104.	जनरल स्टोर	-	500.00 ₹
105.	पम्प सैट, मोटर बाइन्डिग मरम्मत	-	1,000.00 ₹
106.	मेडीकल स्टोर	-	1,000.00 ₹
107.	दुकान कृषि बीज कीटनाशक	-	1,000.00 ₹
108.	दुकान बारदाना सभी प्रकार का	-	1,000.00 ₹
109.	सब्जी फल आढ़त	-	1,000.00 ₹
110.	टेण्ट हाउस	-	2,000.00 ₹
111.	दुकान जूस तथा ठण्डे पेय पदार्थ	-	500.00 ₹
112.	आटा चक्की	-	1,000.00 ₹
113.	धान कूटने की मशीन	-	2,000.00 ₹
114.	लकड़ी की खराद मशीन	-	1,000.00 ₹
115.	चारा काटने की मशीन बेचने के लिये / भूसा की टाल	-	500.00 ₹
116.	तेल मिल	-	5,000.00 ₹
117.	आइसक्रीम प्लांण्ट	-	2,000.00 ₹
118.	डेकोरेशन कार्य (ग्लास / लाइट)	-	6,000.00 ₹
119.	मेटलाइजिंग प्लांट	-	6,000.00 ₹
120.	हार्डवेयर की दुकान	-	5,000.00 ₹
121.	दुकान बिल्डिंग मैटरियल	-	10,000.00 ₹

1	2	3	4
122.	दुकान सीमेण्ट, गिट्टी, मोरम व सरिया आदि	-	2,000.00 ₹
123.	निजी शिक्षण संस्थान/जूनियर हाईस्कूल तक	-	5,000.00 ₹
124.	निजी शिक्षण संस्थान/हाई–स्कूल से इण्टरमीडिएट तक	-	10,000.00 ₹
125.	निजी शिक्षण संस्थान/बी0टी0सी0/बी0एड0/महाविद्यालय	-	25,000.00 ₹
126.	निजी शिक्षण संस्थान/मेडिकल कॉलेज	-	50,000.00 ₹
127.	जूता निर्माणशाला	-	1,000.00 ₹
128.	विसातखाना थोक व्यापारी	-	1,000.00 ₹
129.	बांस–बल्ली की दुकान	-	1,000.00 ₹
130.	बांस–बल्ली किराया भण्डार	-	1,000.00 ₹
131.	कोयला की दुकान	-	500.00 ₹
132.	गैस बत्ती/जनरेटर आदि किराये की दुकान	-	500.00 ₹
133.	बैंण्ड बाजा की दुकान	-	1,000.00 ₹
134.	आतिशबाजी की दुकान	-	2,000.00 ₹
135.	पॉल्ट्री फार्म	-	2,000.00 ₹
136.	चार पहिया शोरूम	-	15,000.00 ₹
137.	टैक्टर ट्राली थ्रेशर निर्माता	-	5,000.00 ₹
138.	नर्सरी	-	2,000.00 ₹
139.	गत्ता, प्लेट– कटोरी, गिलास निर्माण	-	2,000.00 ₹
140.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों पर	-	2,000.00 ₹

उपविधि की धारा–08	**धारा–08 (प्रस्तावित संशोधन)**
अनुज्ञा पत्र में लाईसेंस की अवधि एक वर्ष होगी जो 01 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर को समाप्त हो जायेगी। यदि लाईसेंस वर्ष की काल अवधि में प्राप्त किया गया हो तो भी वह 30 सितम्बर को समाप्त हो जायेगा।	अनुज्ञा पत्र में लाईसेंस की अवधि एक वर्ष होगी जो 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी। यदि लाईसेंस वर्ष की काल अवधि में प्राप्त किया गया हो तो भी वह 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा।

उपविधि की धारा–11	**धारा–11 (प्रस्तावित संशोधन)**
लाईसेंस प्राप्त करने हेतु परिषद के कार्यालय से 25 पैसे में प्रपत्र उपलब्ध होगा। प्रपत्र में स्वामी का नाम मय पते तथा किस दुकान एवं स्थान का पूरा ब्यौरा देना आवश्यक होगा।	विलोपित

उपविधि की धारा–12	धारा–12 (प्रस्तावित संशोधन)
इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाईसेंस 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक बनवा लेना होगा। ऐसा न करने पर विलम्ब की अवधि के प्रत्येक माह के लिये 10 प्रतिशत अधिक फीस दण्ड के रूप में देनी होगी। विलम्ब अवधि वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होगी।	इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। दिनांक 30 अप्रैल तक लाईसेंस नवीनीकरण न कराने पर लाईसेंस शुल्क मद प्रति रू0: 1,000.00 तक रू0: 50 प्रति माह व लाईसेंस शुल्क मद रू0: 1,000.00 से अधिक पर रू0: 100 प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा, जिसके भुगतान के उपरान्त लाईसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दण्ड	प्रस्तावित संशोधित दण्ड
उ0प्र0 जिला परिषद् अधिनियम की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद्, मैनपुरी यह घोषणा करती है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधियों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर 250 रू0 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिनमें उल्लंघन जारी रहा है। 10.00 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न होने पर तीन माह तक का कारावास दण्ड भी दिया जा सकता है।	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मैनपुरी यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्ड्य होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्ड्य होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाए कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

रितु माहेश्वरी
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजाबाद

उपविधि

18 जून, 2024 ई0

सं0 2468/21–1/2023–24–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(यथा संशोधित) की धारा–239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्ठा, टाईल्स, खपरा, चूना तथा सुर्खी भट्ठी आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु पूर्व में बनाई गई उपविधियों जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या-4682/तेईस-3 (6)(9)–91–92 दिनांक 18 अगस्त, 1992 द्वारा पुष्टि उपरान्त दिनांक 13 फरवरी, 1993 जो सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। उक्त उपविधियों की धारा-8 में वर्णित लाइसेन्स शुल्क की दरें जो आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या- 2890/इक्कीस-वि0सहा0-8(3) 2/2013-14 दिनांक 21 मई, 2015 द्वारा संशोधित

होकर दिनांक 11 जुलाई, 2015 को सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रचलित उपविधि की धारा-6, 8, 13 एवं दण्ड में दिये गये निम्नवत् संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूँ जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे:

प्रचलित उपविधि	**संशोधित उपविधि**
धारा–6	धारा–6
अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित रूप-पत्र पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद् कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु 10 रू0 प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिये 5 रू0 प्रति आवेदन-पत्र होगा।	अनुज्ञा हेतु निर्धारित रूप-पत्र पर आवेदन किया जायेगा जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु 200 रू0 प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिये 100 रू0 प्रति आवेदन-पत्र होगा।

धारा–8			धारा–8		
क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम / विवरण	वर्तमान लाइसेंस शुल्क (रू0)	क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम / विवरण	वर्तमान लाइसेंस शुल्क (रू0)
1	चिमनी ईंट भट्ठा	10,000	1	चिमनी ईंट भट्ठा	
			(अ)	20 पाये तक	10,000
			(ब)	20 पाये से अधिक	15,000
2	बिना चिमनी ईंट भट्ठा	2,000	2	विलोपित	–
3	टाईल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	5,000	3	टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	6,000
4	चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	5,000	4	चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	6,000
5	चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	1,000	5	चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	1,500

धारा–13	धारा–13
01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 300 रू0 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।	प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक लाइसेन्स नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। 01 अक्टूबर से नवीनीकरण कराने पर 300 रू0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क सहित लाइसेन्स शुल्क जमा करना होगा। बिना अनुज्ञा प्राप्त किये ईंट भट्ठा संचालन करने पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित)की धारा-240 के अधीन भट्ठा मालिक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान प्रचलित दण्ड	संशोधित दण्ड
उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-249 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा। जो रू0 1000.00 तक तथा यदि ऐसी उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रू0 100.00 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाए कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

सं0 2469/21-1/2023–24–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रार्न्तगत शुगर मिल, आरा मशीन आदि फैक्ट्रियों व कारखानों के व्यवसायों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में बनाई गई उपविधियॉ जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या-4889/इक्कीस-3 (5)–91–92 द्वारा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 18 अगस्त, 1992 में प्रकाशित हो कर विज्ञप्ति संख्या-290/इक्कीस-वि0 सहा0-8(3)7/2013-14 द्वारा संशोधित हो कर सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 10 जनवरी, 2015 (भाग–3) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा उक्त प्रचलित उपविधियों में विलम्ब शुल्क का प्रावधान करते हुए प्रचलित दण्ड में निम्नवत् किये गये संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूँ, जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

प्रचलित उपविधि	संशोधित उपविधि
विलम्ब शुल्क–	**विलम्ब शुल्क**–लाइसेंस की अवधि दिनांक–01 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। जिसका नवीनीकरण लाइसेंस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व अथवा 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा। 01 मई से लाईसेंस नवीनीकरण कराने पर लाईसेंस शुल्क रू0 1,000.00 तक पर रू0 100.00 प्रतिमाह व लाइसेंस शुल्क रू0 1,000.00 से अधिक के मदों पर रू0 300.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। जिसके भुगतान के उपरान्त ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने अथवा बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर व्यवसायी के विरुद्व विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रचलित दण्ड	संशोधित दण्ड
उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम,1961 की धारा 249,के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा, जो रू0 10,000.00 तक तथा यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रू0 100.00 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन मास तक का हो सकेगा।

सं0 2470/21–1/2023–24–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों यथा पक्की आढ़त, कच्ची आढ़त, हलवाई एंव कपड़े की दुकान आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में बनाई गई उपविधियॉ जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या–289/इक्कीस–वि0सहा0–8(3)/10–2013–14 द्वारा संशोधित होकर सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 10 जनवरी, 2015 (भाग–3) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा उक्त प्रचलित उपविधियों में विलम्ब शुल्क का प्रावधान करते हुए प्रचलित दण्ड में निम्नवत् किये गये संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूँ, जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी:

प्रचलित उपविधि	संशोधित उपविधि
विलम्ब शुल्क–	**विलम्ब शुल्क**–लाईसेंस की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। जिसका नवीनीकरण लाईसेंस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व अथवा 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा। 01 मई से लाईसेंस नवीनीकरण कराने पर लाईसेंस शुल्क रू0 1,000.00 तक रू0 100.00 प्रतिमाह व लाईसेंस शुल्क रू0 1,000.00 से अधिक के मदों पर रू0 200.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। जिसके भुगतान के उपरान्त ही लाईसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा। लाईसेंस का नवीनीकरण न कराने अथवा बिना लाईसेंस प्राप्त किये व्यवसाय करने पर व्यवसायी के विरुद्व विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रचलित दण्ड	संशोधित दण्ड
उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 249, के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा, जो रू0 5000.00 तक तथा यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रू0 50.00 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन मास तक का हो सकेगा।

संख्या-2471/21-1/2023-24––उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रार्न्तगत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों यथा गैस प्लांट, टोल प्लाजा एवं ईट/गिट्टी/बालू मण्डी आदि व्यवसायों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में बनाई गई उपविधियॉ जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या-288/इक्कीस-वि0सहा0-8(3) 2013-14 द्वारा संशोधित होकर सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 10 जनवरी, 2015 (भाग-3) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा उक्त प्रचलित उपविधियों में विलम्ब शुल्क का प्रावधान करते हुए प्रचलित दण्ड में निम्नवत् किये गये संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूँ, जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगीः

प्रचलित उपविधि	संशोधित उपविधि
विलम्ब शुल्क–	**विलम्ब शुल्क**– लाइसेंस की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। जिसका नवीनीकरण लाइसेंस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व अथवा 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा। 01 मई से लाइसेंस नवीनीकरण कराने पर लाइसेंस शुल्क रू0 1,000.00 तक पर रू0 100.00 प्रतिमाह व लाइसेंस शुल्क रू0 1,000.00 से अधिक के मदों पर रू0 300.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। जिसके भुगतान के उपरान्त ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने अथवा बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर व्यवसायी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रचलित दण्ड	संशोधित दण्ड
उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-249, के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा, जो रू0 10,000.00 तक तथा यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रू0 100.00 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन मास तक का हो सकेगा।

रितु माहेश्वरी,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

पी0एस0यू0पी0—17 हिन्दी गजट—भाग 3—2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।